RESEARCH HUB – International Multidisciplinary Research Journal (RHIMRJ)
Research Paper

भारतीय समाज में अपराधीकरण : सामान्य विश्लेषण

डॉ बलवीर सेन

सह–आचार्य (समाजशास्त्र) राजकीय महाविद्यालय, मेड़ता सिटी, नागौर (राज0)

Abstract:
सामाजिक जीवन की अनेक समस्याओं में बाल एवं युवा अपराध की समस्या एक सार्वभौमिक चिन्ता का विषय है। आधुनिक समाज वृहद परिवर्तन और विघटन के दौर से गुजर रहा है। सामाजिक व्यवस्था में, समाज में तेज और असामान्य परिवर्तन असामंजस्य पैदा कर रहे हैं। बाल अवयस्क और युवापीढ़ी इनसे प्रभावित होती जा रही है। भारत में किशोर अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है न केवल लड़कों में बल्कि लड़कियों में भी अपराधी प्रवृत्ति तेज होती जा रही है। औद्योगिक केन्द्रों की गन्दी बस्तियों में स्थान के अभाव में किशोर साधारणतः गलियों में घूमते रहते है चौराहों पर खेलते रहते हैं तथा अभावों के बीच पलने के कारण छोटे–छोटे आर्थिक प्रलोभनों की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे किशोर स्कूलों से भागते हैं आवारागर्दी करते हैं, जेब काटने का काम भी सीख लेते हैं, जुआ खेलते हैं और शराब पीते है और गली मोहल्ले में लड़कियों को छेड़ते है। वर्तमान में लड़कियां भी इस ओर बढ़ रही हैं ऐसे अपचारी युवक–युवतियों का कुप्रभाव उन किशोरों पर भी पड़ता है जो इनकी संगति में पड़कर समाज विरोधी कार्य करने लगते हैं।

Keywords: *समाज, सामाजिक संरचना, अपराध, भारत।*

शोध विस्तार– जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है। जनसंख्या एवं अपराध में सीधा सम्बन्ध होता है अर्थात् जनसंख्या अधिक होने पर निश्चित रूप से अपराध भी बढ़ते हैं। भारत में आजादी के बाद बढ़ती आजादी, औद्योगीकरण, पलायन, गरीबी एवं बेरोजगारी आदि के कारण अपराधों में भी वृद्धि हुई है। ज्ञातव्य है कि देश में आजादी से पूर्व न्यायालय एवं पुलिस की संख्या काफी कम थी। इसलिए उस समय गांव के अधिकांश विवादों का निराकरण ग्राम पंचायतों के माध्यम से होता था तथा पंचायतों का निर्णय सर्वमान्य होता था। इस वजह से पुलिस एवं न्यायालय तक पहुँचने वाले मामलों अथवा प्रकरणों की संख्या बहुत ही कम रहती थी। परन्तु आजादी के बाद देश में न्यायालयों एवं पुलिस की संख्या में वृद्धि होने पर अधिकांश मामले पुलिस में दर्ज होने लगे। दूसरी बात भारतीय समाज में पारिवारिक विघटन, भौतिकवादी जीवन, एकल परिवार प्रणाली पर जोर, प्राचीन सामाजिक परम्पराओं एवं मान्यताओं में अविश्वास धन की लालसा, सामाजिक सरोकारों के प्रति उदासीनता आदि के कारण ग्राम पंचायतों का महत्व घटने लगा। आजकल तो सामान्य एवं छोटे विवाद भी पुलिस थानों में पंजीबद्ध होने लगे हैं। भारत में अपराध के प्रमुख कारण निम्नलिखित है।[1]

सामाजिक कारण– भारत में वर्तमान समय में अपराध होने के कारणों में सामाजिक कारणों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अर्न्तगत संयुक्त परिवार प्रणाली का ह्रास, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या जाति प्रथा एवं जातिवाद, अनमेल विवाह, पारिवारिक कलह, सामाजिक परम्पराओं एवं सामाजिक मूल्यों का पतन, अपहरण, यौन उत्पीड़न, बाल विवाह खर्चीली प्रथायें विधवा विवाह का निषेध, ससुराल में सास/ननद द्वारा बहुओं को प्रताड़ित करना, विवाह प्रणाली में परिवर्तन आदि को शामिल किया जा सकता है।[2]

आर्थिक कारण– अपराधियों में अनेक व्यक्ति गरीबी एवं अभावों के कारण अपराधी बनते हैं। अधिकांश जनता को उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई होती है। एक ओर गरीबी के कारण गरीब लोग अपराध करते हैं और दूसरी और धनी लोग और भी अधिक धनी होने के लिये भी गरीब और असहाय लोगों का शोषण करते हैं। आर्थिक परिस्थितियों का अपराधिक व्यवहार से सम्बन्ध और प्रभाव को स्पष्ट करते हुए हरमन मेनहेम कहते हैं कि यदि यातायात अपराध को छोड़ दें तो सम्पूर्ण विश्व में आपराधिक प्रशासन को अपना तीन–चौथाई समय और ऊर्जा आर्थिक अपराधों पर लगानी पड़ती है। 'भूख इंसान को हैवान बना देती है।'' ''भूखे भजन न होई गोपाला' ''बुभुक्षितः किं न करोति पाप'' इस ओर इशारा करती है।[3]

सांस्कृतिक कारण– भारतीय समाज की परम्परावादी मान्यतायें एवं प्रथाओं में परिवर्तन हो रहे हैं। आज व्यक्ति सांस्कृतिक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। आज लोग ऐसी संस्कृति का चुनाव करना चाहते हैं जो आध्यात्मिक और भौतिकवाद दोनों को महत्व देती हो। धर्म में विज्ञान का समावेश करने के प्रयास में अनैतिकता एवं अश्लीलता बढ़ी हैं। जनता में राजनैतिक चेतना लाने के प्रयास में पंचायत राज की स्थापना की गई तो चुनावों के कारण लोगों में आपसी वैमनस्य और झगड़े बढ़ रहे हैं। अधिक धन कमाने की चाहत में निश्चित रूप से नैतिक मूल्यों का पतन, रिश्वत, गबन, धोकाधड़ी एवं मिलावट के रूप में हमारे सामने है।[4]

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved *ISSN:* 2349-7637 (Online)

कला व मनोरंजन के क्षेत्र में अपराध व सेक्स की बढ़ती हुई भावना समाज के नैतिक अवमूल्यन का एक प्रमुख कारक सिद्ध हो रही है। चलचित्रों में दिखाये जाने वाला तस्करों व माफिया गिरोहों और अन्य अवैध कार्यों में संलग्न व्यक्तियों का वैभव, अपराध व सेक्स से युक्त जीवन, रोमांस और व्यवहार के तरीके युवामन को आकर्षित करते हैं। उनमें से कुछ के मन में ऐसे ही जीवन की ललक पैदा हो जाती है और ये अपराध के मार्ग पर चल पड़ते हैं। इस तरह कला और मनोरंजन के क्षेत्र में अपराध व सेक्स की भावना का प्रदर्शन अवमूल्यन का एक प्रमुख कारक है।

धार्मिक कारण– भारत में अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं, परन्तु यही एकता जब धार्मिक रूप में संकीर्णता एवं कट्टरता का आवरण ओढ़ती है तो विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के मध्य धार्मिक कट्टरता साम्प्रदायिक हिंसा का रूप ले लेती है जिससे अपार धन–जन की हानि होती है। इसका परिणाम यह होता है कि विभिन्न धर्मों के लोगों में पारस्परिक वैमनस्य बढ़ने से वे आशंकित, असुरक्षित एवं भयभीत रहते हैं जिससे अपराध होते हैं। निश्चित रूप से धार्मिक संकीर्णता एवं कट्टरता सम्प्रदायों के धर्मावलम्बियों के मध्य इतना अविश्वास पैदा कर देता है कि एक धर्म के लोगों का कोई कार्य दूसरे धर्म के लोगों को षड़यंत्र दिखाई देता है।[5]

राजनैतिक कारण– वर्तमान में दागी चरित्र वाले लोगों का संसद में चुनकर पहुँचने, स्वार्थपरता तथा सत्तालोभी के कारण नेताओं का चारित्रिक पतन हो रहा है। साम, दाम, दण्ड, भेद से चुनाव जीतने की प्रवृत्ति तथा चुनाव जीतने में आपराधिक एवं असामाजिक तत्वों की निरंतर बढ़ती संक्रियता के कारण आम जनता सशंकित, आतंकित और भ्रष्ट बनती है, जिससे अपराध का जन्म होता है। इस प्रकार सरकार की चरित्रहीनता से आम जनता प्रभावित होती है। भारत में पिछले दशक में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनेक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेता चुनाव जीतकर संसद में पहुँचे हैं इससे आतंकवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। आज देश की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि हत्या, अपहरण तथा बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के आरोपी सरकार में मंत्री एवं विधायक बने बैठे हैं। स्वाभाविक है कि इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है तथा ऐसे नेताओं की छत्रछाया में अपराध स्वतः ही फलते–फूलते हैं।

अपराध के उपर्युक्त दिये गये कारणों के अतिरिक्त दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, भ्रष्टाचार, बढ़ती जनसंख्या, शारीरिक एवं मानसिक बीमारियाँ, स्वच्छंद जीवन जीने की चाह, आपराधिक पृष्ठभूमि एवं संगति, न्याय प्रणाली में विलंब, नवीन वैज्ञानिक खोज, विलासी साहित्य, मीडिया एवं समाचार पत्र, फिल्में आदि भी कुछ ऐसे कारण हैं जो अपराध को बढ़ावा देते हैं। आज की नवीन खोजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि अपराध कई कारणों के परिणाम होते हैं चूंकि मानव व्यवहार अत्यन्त जटिल तथा बहुरूपी होता है अतः अपराधी भी एकरूपी न होकर बहुरूपी होता है और कोई भी कारण अपराध के लिये पूर्व रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।[6]

भारत में अपराध– भारत में अपराध का लम्बा इतिहास रहा है। प्रारम्भ में मनुष्य खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था और जब प्रकृति, मानव, पृथ्वी, आकाश, नक्षत्र, राज्य एवं सम्पत्ति जैसे शब्दों का प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ था, उस समय से ही संघर्ष प्राणिशास्त्रीय जीवन का जैव–स्वभाविक अंग रहा है। शनैः शनैः मनुष्यों ने समूह में रहना सीखा परिवार का प्रादुर्भाव हुआ एवं सामाजिक संस्थाओं का प्रणयन हुआ। इन्हीं सामाजिक संस्थाओं की गतिविधि के सुचारुपूर्ण संचालन हेतु नियम एवं नीति निर्देशात्मक सिद्धान्तों की रचना हुई।सामाजिक प्राणी बनने के क्रम में मनुष्यों से कुछ अपेक्षायें की जाने लगीं, जो तत्सम्बन्धी समूह से सम्बन्धित थीं तथा जो सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य के लिये अनिवार्य भी कही जा सकती हैं। ज्ञान की वृद्धि के साथ–साथ जैसे–जैसे मनुष्य उत्तरोत्तर विकसित होता गया, समाज की अपेक्षायें बढ़ती गयीं और अनिवार्य व्यवहार की उपेक्षा ही अपराध का स्वरूप बन गयी। राज्य जैसी संस्था की उत्पत्ति के साथ–साथ अपराध की स्थिति एवं व्याख्या और भी स्पष्ट होती गयी।[7]

वर्तमान समय में देश संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। आजादी के बाद से अपराधों के स्वरूप में परिवर्तन आने के साथ ही देश में अपराध भी बढ़े हैं। देश में भयावह आर्थिक खाई, अन्याय आधारित सामाजिक संरचना और आधुनिक जीवन में बढ़ती प्रतियोगिता एवं तनाव के कारण मन में जागी हताशा की कोख से अपराध जन्म ले रहे हैं और यह हताशा अपराध के कई रूपों में अभिव्यक्त होती है। वर्तमान में भारत में हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, बलात्कार, बाल अपचार महिलाओं के विरुद्ध अपराध, दलित वर्ग के प्रति अपराध, श्वेतपोश अपराध आदि में वृद्धि हो रही है। वर्ष 1953 से अपराध से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा भारत में अपराध शीर्षक से जारी किये जाते हैं।

अपराधियों के सुधार हेतु प्रयास– भारत जैसे विकासशील देशों की अपनी अनेक समस्याएं हैं जैसे जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, समाज के सदस्यों के बीच भारी विषमता, औद्योगीकरण का दबाव, बेरोजगारी, संसाधनों की कमी, पिछड़ापन, निरक्षरता इत्यादि। संगठित क्षेत्र में काम कर रहे सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास को ही जनसंख्या का आकार एक बडा आर्थिक बोझ बना देता है। कानून सामाजिक परिवर्तन का माध्यम हैं। मगर सामाजिक नियमों को बदलने में इसकी नैसर्गिक सीमाएं हैं। बाल विवाह रोक अधिनियम और दहेज निषेध अधिनियम के उदाहरण बताते है कि कानूनों के बन जाने से वास्तविकता नहीं बदल पाई है। बाल विवाह अभी भी धड़ल्ले से पूरे गाजे बाजे के साथ हो रहे हैं। बलात्कार जैसा जघन्य अपराध करने वाले और बाल विवाह कराने वाले दोषी व्यक्तियों को सजा नहीं मिली। जाहिर है कि ऐसे कानून निरर्थक है। सभी को यह मालूम है कि दहेज लेना और देना दोनों कानूनन

अपराध हैं। इसके बावजूद भी यह अपराध अमीर गरीब, शिक्षित, अनपढ, शहरी देहाती और खुद कानून बनाने वाले यह अपराध कर रहे हैं।

आज भारत जैसे विकासशील देश की छवि खराब हो चुकी है। आए दिन चोरी, डकैती, हत्या जैसे अपराध आम हो चुके हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही अनेक अपराध व्याप्त हैं। समाज की सबसे कमजोर वर्ग महिलाओं को ही सबसे ज्यादा इन अपराधों को सामाना करना पड़ता है। परिवार और घर में महिलाओं और बालिकाओं के लिए भेदभाव के अनेक साधन मौजूद है। लड़कियों को शारीरिक और भावनात्मक इन अपराधों को सहना पड़ता हैं, या तो भ्रूण में ही उनकी हत्या कर दी जाती है। या जन्म लेने के बाद उन्हें मार दिया जाता है। कई लड़कियों की शादी छोटी उम्र में कर दी जाती है। उन्हें ससुराल में सताया जाता है। घरेलू हिंसा का संबंध वैवाहिक हिंसा से ही है। बाल विवाह 1929 पर रोक लगा दी गई थी इसे बाल विवाह निषेध अधिनियम के रूप से जाना जाता है। परन्तु भारत के ग्रामीण इलाकों में अभी भी यह प्रथा प्रचलित हैं। भारत देश में दहेज और घरेलू हिंसा जैसे कानून बने और इसका दुरूपयोग हुआ । कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई कि अपने परिवार या समाज की मर्जी के खिलाफ विवाह करने वाले युवक युवतियों को उनके ही अपने लोगों ने हत्या कर दी, इसके लिए अलग–अलग कानून बनाने को कहना ही अपनी सोच के संर्कीण होने का प्रमाण है। महिलाओं के लिए दहेज एक्ट जैसा कानून बने।

स्पष्ट है कि कानून में हत्या चोरी, डकैती, तथा ठगी जैसे अपराध रोकने के लिए पर्याप्त प्रावधान है। इसलिए हमारे देश के प्रतिबद्ध, बुद्धिजीवी वर्ग अपराधों में जाति, भाषा, धर्म तथा क्षेत्रीय पूर्वग्रहों से सोचते है। परन्तु उसका पालन ईमानदारी से नहीं करते। परन्तु आज कानून को ओर सख्त बनाने की जरूरत है और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देने की जरूरत है जिससे समाज में व्याप्त अपराधों को रोका जा सकें और अपराधी अपराध करने के पहले सोचने पर मजबूर हो जाए कि यह अपराध करे या न करें, तभी हमारे समाज की सुरक्षा हो पाएगी और भारत देश अपराध मुक्त होगा और अपराधों से स्वतंत्रता मिल पाएगी।[8]

प्रकृति द्वारा निर्मित प्रत्येक वस्तु अपना मौलिक गुण और प्रयोजन रखती है। उसका आचरण जिस सीमा तक इस गुणधर्मिता के अनुकूल होता है यह उतना ही मंगलकारी होता है। इसके विपरीत आचरण उतना ही अमंगलकारी भी होता है। जिस प्रकार सूर्य की गुणधर्मिता ताप और प्रकाश है चांद की गुणधर्मिता शीतलता एवं चांदनी का विकीर्णन है तथा बादलों की जलवृष्टि में निहित है उसी प्रकार मानव जीवन की मौलिक गुणधर्मिता श्रेष्ठ कर्मो और रचनात्मकता में निहित होती है। यदि सूर्य, चंद्रमा एवं बादल अपनी गुणधर्मिता छोड़ दें तो सृष्टि में संकट उत्पन्न हो जाएगा। उसी प्रकार मानव अपनी गुणधर्मिता को छोड़ दें, पतित विध्वंसात्मक विघटनकारी आपराधिक कार्यों में प्रवृत्त रहे तो उसका जीवन निरर्थक होगा तथा साथ में यह मानवता के लिए भी कलंक बन जाएगा। इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति मानव देश, समाज तथा स्वयं के उत्थान हेतु नैतिक मूल्यों को आत्मसात करे यह कार्य कठिन अवश्य है लेकिन दृढ़ निश्चय अभ्यास के साथ–साथ श्रद्धा और लगन इस कार्य में सहयोगी बन सकते हैं। व्यक्ति में सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि और सम्यक आचरण के प्रति प्रतिबद्धता हो तो व्यक्ति इस कठिन कार्य को भी सरल बना लेता है।[9]

निष्कर्ष– मानवता का प्रकटीकरण समूह में होता है अर्थात् मानवता से निष्पन्न व्यक्ति में दूसरे जीवों के प्रति करुणा, दया, सहानुभूति मैत्री आदि भावनाओं का समावेश होता है। यदि व्यक्ति प्रामाणिकता एवं लगन से इस भावना को क्रियान्वित करता है तो सामाजिक समस्या को प्रश्रय नहीं मिलता है क्योंकि व्यक्ति इन्हीं भावनाओं को स्व–जीवन में दूसरों से चाहता है। सामाजिक जीवन में कठिनाइयों का होना अपरिहार्य है। कठिनाइयों के साथ–साथ कुछ विशेष सुविधाएं भी वहां होती हैं। इसलिए व्यक्ति सामूहिक जीवन स्वीकार करता है। जब समूह चेतना को विकास का अवसर नहीं मिलता है जो वहां जड़ता पैदा होने लगती है।

संदर्भ–

1. चौहान, एम.एस. 2008, अपराधशास्त्र एवं आपराधिक प्रशासन, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, पृ. 91
2. शुक्ल, अखिलेश 1995, पुलिस और समाज, राधा कृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 375
3. सिंह, श्यामधर, 2015, अपराधशास्त्र के सिद्धान्त, सपना अशोक प्रकाशन पृ. 309
4. हंसा, सेठ, 1961, जुवेनाइल डेलिक्वेन्सी इन इण्डिया सिटिंग, बाम्बे, पॉपुलर बुक डिपो, पृ. 132–133
5. चन्द्र, सुशील, 1967, सोशियोलॉजी ऑफ डिवेयशन इन इण्डिया, इलाइट पब्लिशर्स, दिल्ली, पृ. 88
6. उपरोक्त, पृ. 47
7. उपरोक्त, पृ. 103
8. उपरोक्त, पृ. 89
9. उपरोक्त, पृ. 91

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved *ISSN:* 2349-7637 (Online)